19/08/25

आज यह पत्रावली वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पेशी में ली गई। वादीगण ने प्रार्थना पत्र वापस ले लिया है वे वाद पत्र में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। अतः वाद पत्र उठाने की अनुमति प्रदान करें।

पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण स्वयं वाद पत्र वापस करना चाहते हैं। अतः वाद पत्र वापस की अनुमति दी जाकर इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। नंबर से 95 हो।

आदेश सुनाया गया।

नत्थू सिंह
दारा सिंह
राम सिंह

R.T.I. प्रकाश चंद

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.08.19 19:11:33 IST
Reason: SelfAttested

GCC
2024/617

I. by me
19-8-25

R.T.I. राजीव
चारण